पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक),0771–2262540 (कुलसचिव),फैक्स–0771–2262818, 2262607, ई–मेलः academicprsu3@gmail.com

क्रमांक 554 /अका./रा.शि.नी.–2020/2025 रायपुर, दिनांकः 19/03/2025

प्रति,

प्राचार्य/संचालक
संबद्ध समस्त महाविद्यालय
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर

विषय :– **राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अंतर्गत स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के शैक्षणिक गतिविधियों संबंधी दिशा–निर्देश।**

संदर्भ :– आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 752/204/आउशि/गु.प./2025, नवा रायपुर, दिनांक 18.03.2025

––00––

विषयांतर्गत आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित संलग्न पत्र का कृपया अवलोकन करना चाहेंगे। पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के अंतर्गत स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान किया गया है।

अतः संबंधित शिक्षकों एवं छात्र/छात्राओं को अवगत कराते हुए संदर्भित पत्र में उल्लेखित दिशा–निर्देश अनुरूप अध्ययन–अध्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न :– कुल 02 पृष्ठ।

आदेशानुसार,
19/3/2025
कुलसचिव

पृ. क्रमांक 555 /अका./रा.शि.नी.–2020/2025 रायपुर, दिनांकः 19/03/2025

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को आपके संदर्भित पत्र के अनुक्रम में सादर सूचनार्थ।
2. उप कुलसचिव, परीक्षा
3. सहायक कुलसचिव, गोपनीय विभाग
4. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला
5. अधिष्ठता छात्र कल्याण/संचालक महाविद्यालय विकास परिषद
6. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

उप कुलसचिव (अका.)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय
ब्लॉक –3 द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर,

Email- slqaccg@gmail.com, Website – highereducation.cg.gov.in

क्र. 752 204/आउशि /गु.प्र./2025 नवा रायपुर, दिनांकः– 18 /03/2025

प्रति,

कुलसचिव,
समस्त राजकीय विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़

विषय : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत संचालित स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के शैक्षणिक गतिविधियों सम्बन्धित दिशा–निर्देश।

संदर्भः उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर में राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों की बैठक, दिनांक 05/03/2025 ।

––000––

विषयान्तर्गत संदर्भित बैठक में हुई चर्चा तथा स्नातक द्वितीय सेमेस्टर के शैक्षणिक गतिविधियों सम्बन्धित आपके द्वारा चाही गयी दिशा–निर्देश निम्नानुसार प्रेषित है –

1. स्नातक पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षाएँ दो पालियों में क्रमशः प्रातः 7.00 से 10.00 तक एवं दोपहर 3.00 से 6.00 बजे तक संचालित किये जायें तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर का अध्यापन कार्य 10.30 से 2.30 बजे तक संपादित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों द्वारा जेनेरिक इलेक्टिव (GE) एवं कौशल वृद्धि कोर्स (SEC) का चयन कराये जाने का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाये।
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानानुसार जेनेरिक इलेक्टिव (GE) कोर्स हेतु किसी संकाय के विद्यार्थियों द्वारा अन्य संकाय के विषय का हीं चयन किया जाना है।
4. द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों द्वारा अन्य संकाय के विषय का जी.ई.-II (GE-II) का चयन जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स हेतु किया जायेगा। संकायवार जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स की सूची (POOL OF GE) विनियम के परिशिष्ट–5, तालिका–2 में उल्लेखित है।
5. विद्यार्थियों द्वारा जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स हेतु प्रथम सेमेस्टर में चयन किया गया विषय का जी.ई.-II (GE-II) अथवा संस्था में उपलब्ध अन्य कोई विषय का जी.ई.-II (GE-II) कोर्स का चयन किया जा सकता है।
6. कुल 41 कौशल वृद्धि कोर्स (SEC) की सूची (POOL OF SEC) विनियम के परिशिष्ट–6, पेज–2 पर अंकित है। जिसमें से महाविद्यालय में उपलब्ध भौतिक एवं मानव संसाधनों के आधार पर कौशल वृद्धि कोर्स (SEC) की महाविद्यालयीन सूची तैयार कर विद्यार्थियों को चयन करने उपलब्ध कराया जाये।
7. कुल 41 कौशल वृद्धि कोर्स (SEC) की सूची (POOL OF SEC) {विनियम के परिशिष्ट–6, पेज–2} में से हीं कोर्स का चयन किया जाना है, इसके करिकुलम विभिन्न सम्बन्धित विषयों के करिकुलम में सम्मिलित है। कौशल वृद्धि कोर्स (SEC) का उस करिकुलम का उपयोग नहीं किया जाना है, जो विषयों के करिकुलम में यदि उपलब्ध है, परन्तु कौशल वृद्धि कोर्स (SEC) की सूची (POOL OF SEC) में शामिल नहीं किया गया है।

क्रमश .....2....

कुछ कोर्स के करिकुलम में लिपिकीय त्रुटि के कारण उत्पन्न शंकाओं के समाधान निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है –

- **CHSEC-01** के कोर्स में **Green Chemistry** का उपयोग किया जाये, जो करिकुलम में उपलब्ध है।
- **PSSEC-01** के कोर्स में **Citizenship, duties and e-Governance** का उपयोग किया जाये, जो **PSSEC-02** के करिकुलम में उपलब्ध है।
- **POOL OF SEC** में सूचीबद्ध समस्त कोर्स क्रमशः द्वितीय, चतुर्थ, पंचम एवं षष्टम सेमेस्टर के लिए मान्य है। किसी विद्यार्थी द्वारा किसी कोर्स का चयन उक्त किसी सेमेस्टर में किया जा सकता है, परन्तु किसी कोर्स का चयन दो बार नहीं किया जा सकता है। अतः करिकुलम कें पार्ट–A के प्रथम पंक्ति में SEMESTER – II/IV/V/VI पढा जाये।
- समस्त कौशल वृद्धि कोर्स (SEC) की अंत सेमेस्टर परीक्षा (ESE), 35 अंक के लिए, व्यवहारिक/क्षेत्रीय कार्य/परियोजना कार्य/प्रायोगिक परीक्षा के अनुरूप सम्पादित किय जायेगा, जैसा कि करिकुलम कें पार्ट–D में वर्णित है/ विनियम के परिशिष्ट–7, में उल्लेखित है।
- उपरोक्तानुसार आंशिक सुधार विश्वविद्यालय द्वारा करते हुए सम्बद्ध महाविद्यालयों को सूचित किया जाये, तद्नुसार परीक्षा हेतु तैयारी किया जाये।

8. सम्बद्ध महाविद्यालयों में उपरोक्तानुसार सूचना प्रेषित करते हुए महाविद्यालयों से विद्यार्थियों द्वारा चयन किए गये जेनेरिक इलेक्टिव (GE) एवं कौशल वृद्धि कोर्स (SEC) की सूची 25 मार्च तक प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाये।

उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ शासन द्वारा द्वितीय सेमेस्टर हेतु शैक्षणिक कैलेण्डर शीघ्र प्रेषित किया जाना है, मूल्यांकन कार्य (CIA & ESE) निम्नानुसार प्रस्तावित है –

गतिविधियां	**नियमित विद्यार्थियों हेतु**	**स्वध्यायी विद्यार्थियों हेतु**
सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) अंतर्गत विद्यार्थियों को असाइनमेन्ट का आबंटन	30 मार्च तक	10 अप्रैल तक
सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) अंतर्गत प्रथम टेस्ट/क्विज	2,3,4,5 अप्रैल, 2025	20 अप्रैल तक
सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) अंतर्गत द्वितीय टेस्ट/क्विज	1,2,3,5 मई 2025	10 मई तक
सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIA) अंतर्गत असाइनमेंट का मूल्यांकन	15 मई तक	15 मई तक
प्रायोगिक परीक्षा का संचालन	06 से 15 मई	06 से 15 मई
सेमेस्टर अंत परीक्षा	20 मई से 20 जून तक	

9. तत्सम्बन्धित किसी प्रकार के शंकाओं के समाधान हेतु **एन.ई.पी. प्रकोष्ठ,** उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर से सीधा सम्पर्क कर सकते हैं।

(जनक प्रसाद पाठक)
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)